

# विवरणिका

2021-22

## मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम

किशोर एवं प्रौढ़ (14 वर्ष से अधिक आयु समूह)



### राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित

(स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय,  
भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)

ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा-201309, उत्तर प्रदेश

शिक्षार्थी सहायता सेवाएँ टोल फ्री नं. : 1800 180 9393, ई-मेल : lsc@nios.ac.in

“विश्व में सबसे बड़ी मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली”

---

## © राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

सचिव, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा-201309 द्वारा प्रकाशित एवं  
मैसर्स राज प्रिंटर्स, ए-9, सेक्टर-बी-2, ट्रोनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया, लोनी, गाजियाबाद द्वारा मुद्रित।

**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ( एनआईओएस )  
शिक्षार्थी सहायता केन्द्र ( एलएससी )**

एनआईओएस के शिक्षार्थी सहयता संस्थाओं (एलएमसी) की सरचना की विचालक प्रस्तुति नीचे दी गई है :-  
अंतः क्रियात्मक स्वर-अनुबोधन प्रणाली (आईबीआरएस) और योल फ्री नं. द्वारा शिक्षार्थी संबंधी विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए शिक्षार्थी सहयता केन्द्र की स्थापना की है।

**1800 180 9393 डॉचल करें**

प्रवागत मंदेश

→ हिंदी के लिए 1 दबाएँ

अंग्रेजी के लिए 2 दबाएँ



## विषय सूची

<b>1.</b>	<b>एनआईओएस: सीमाओं से परे सीखना</b>	<b>1-5</b>
1.1	एनआईओएस: एक परिचय	
1.2	ओबीई कार्यक्रम: एक परिचय	
1.3	शिक्षा और मान्यता का मानक	
1.4	ओबीई कार्यक्रम के स्तर	
1.5	ओबीई कार्यक्रम के लिए बहु प्रविष्टि प्रणाली	
1.6	लक्ष्य समूह	
1.7	विशेषताएं और लचीलापन	
1.8	अध्ययन की योजना	
<b>2.</b>	<b>प्रवेश</b>	<b>6-12</b>
2.1	ऑनलाइन प्रवेश	
2.2	प्रवेश की अवधि	
2.3	ऑनलाइन प्रवेश के लिए प्रक्रिया	
2.4	क्षेत्रीय केंद्रों/ प्रत्यायित एजेंसियों (अध्ययन केंद्र) के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया	
2.5	प्रवेश के लिए प्रोसेसिंग शुल्क का स्वरूप	
2.6	प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान कैसे करें	
2.7	प्रवेश रद्द करना	
2.8	प्रवेश की पुष्टि	
2.9	ई-सेवा के माध्यम से प्रवेश के बाद अन्य सुविधाएं	
2.10	केवल ई-सेवा के माध्यम से प्रवेश रिकॉर्डों में संशोधन की प्रक्रिया	
<b>3.</b>	<b>एनआईओएस में अध्ययन प्रक्रिया</b>	<b>13-14</b>
3.1	पाठ्यक्रम एवं स्व-अध्ययन सामग्री	
3.2	ओबीई कार्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन के घंटे	
3.3	शिक्षार्थी की प्रत्यायित एजेंसी/अध्ययन केंद्र के बारे में	
<b>4.</b>	<b>मूल्यांकन प्रणाली</b>	<b>15-16</b>
4.1	क्रेडिट संचयन	
4.2	उपलब्धि सह स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करना	
4.3	प्रमाणन मानदंड	
4.4	मूल्यांकन मानदंड (ग्रेडिंग का स्वरूप)	
4.5	दस्तावेजों की दूसरी प्रति जारी करना	
4.6	अनुचित साधन (यूएफएम)	
<b>5.</b>	<b>एनआईओएस परीक्षाओं के संदर्भ में सामान्य तथा विशेष प्रावधान (अक्षमतानुसार)</b>	
5.1	प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ	
5.2	सामान्य प्रावधान	
5.3	विशिष्ट प्रावधान	
<b>परिशिष्ट-क</b>		<b>22-24</b>
<b>परिशिष्ट-ख</b>		<b>25-25</b>
<b>परिशिष्ट-ग</b>		<b>26-26</b>



# एनआईओएस : सीमाओं से परे सीखना

## 1.1 एनआईओएस : एक परिचय

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) की स्थापना 1989 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संस्था के रूप में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के रूप में की गई थी। यह ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा के अवसर प्रदान करता है जो आगे एक बेहतर भविष्य के लिए पढ़ना चाहते हैं। एनआईओएस का मिशन सबको शिक्षा प्रदान करना है तथा बालिकाओं और महिलाओं, ग्रामीण युवाओं, कामकाजी पुरुषों तथा महिलाओं, अनु.जा. और अनु.जन.जा., अक्षम व्यक्तियों और अन्य सुविधा वर्चित व्यक्तियों को शिक्षित करना इसकी विशेष प्राथमिकता है, जो किसी न किसी कारण से औपचारिक शिक्षा प्रणाली द्वारा पढ़ नहीं पाए हैं। एनआईओएस का उद्देश्य शिक्षा वर्चितों तक शिक्षा पहुंचाना है। एनआईओएस ने भारत भर के कारागारों में अध्ययन केंद्र स्थापित करके और शुल्क में पूर्ण छूट देकर कारागारों के कारावासियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष पहल की है। एनआईओएस तेर्झस क्षेत्रीय केंद्रों, दो उप-क्षेत्रीय केंद्रों, दो एनआईओएस प्रकोष्ठों तथा अध्ययन केंद्रों के रूप में जाने-जाने वाले आठ हजार से अधिक प्रत्यायित संस्थाओं (एआई), प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थाओं (एवीआई) और प्रत्यायित एजेंसियों (एए) के नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। इसके केंद्र भारत, नेपाल और मध्य पूर्व के देशों में स्थित हैं। शैक्षिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल ऑनलाइन के माध्यम से किया जाता है।

## 1.2 ओबीई कार्यक्रम : एक परिचय

मुक्त बेसिक शिक्षा (ओबीई) कार्यक्रम जून 1994 में आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य ऐसे प्रौढ़ नव साक्षरों को मुक्त विद्यालयी शिक्षा के वैकल्पिक माध्यमों द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है जो औपचारिक स्कूली शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाए हैं। यह एक समकक्षता कार्यक्रम है जो ओबीई कार्यक्रम के अंतर्गत तीन स्तरीय शिक्षा प्रदान करता है यथा स्तर - 'क' (तीसरी कक्षा के समकक्ष), स्तर - 'ख' (पांचवीं कक्षा के समकक्ष) और स्तर - 'ग' (आठवीं कक्षा के समकक्ष) है। वर्ष 2000 में प्रत्यायित एजेंसियों (एए) की सहायता से 6-14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का प्रसार किया गया।

एनआईओएस प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा के लिए शिक्षा के मुक्त और दूरस्थ शिक्षा माध्यम से शिक्षा का एक विकल्प के रूप में हाशिए के ऐसे समूहों तक पहुंचता है जो भौतिक अथवा सामाजिक रुकावटों के कारण पहले स्कूल नहीं जा सके। मुक्त शिक्षा प्रणाली के लचीले प्रावधान यह सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्यक्रम को पूरा करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या काफी अधिक बनी रहे, साथ ही शिक्षार्थियों के उपलब्धि स्तर में भी वृद्धि हो क्योंकि शिक्षार्थी अब अपनी गति से पढ़ाई करने में सक्षम होंगे। इस प्रयास से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण को प्राप्त करने के उद्देश्य से बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा प्रदान की जाएगी।


मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम (ओबीई) जून, 1994 से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य 6-14 वर्ष आयु वर्ग तथा औपचारिक स्कूलों में उपस्थित न हो सकने वाले किशोरों और वयस्कों को मुक्त विद्यालयी शिक्षा के वैकल्पिक माध्यमों द्वारा प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है।

मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा आगे की शिक्षा और रोजगार के उद्देश्यों के लिए औपचारिक विद्यालय की शिक्षा के समकक्ष शिक्षा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। विभिन्न राज्यों ने अपने स्कूल न जाने वाले बच्चों के साथ-साथ किशोरों और नवसाक्षर प्रौढ़ों के लिए इस कार्यक्रम में रुचि दर्शायी है। कुछ राज्यों में ओबीई राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलएम) के सतत शिक्षा योजना के अंतर्गत एक समकक्षता कार्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा है।


### 1.3 शिक्षा और मान्यता का मानक

स्कूल शिक्षा के तीन राष्ट्रीय बोर्ड हैं जैसे एनआईओएस, सीबीएसई और सीआईएससीई। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। इसे पूर्व विश्वविद्यालय स्तर तक स्कूली शिक्षा प्रदान करने, परीक्षाएं आयोजित करने और प्रमाण पत्र देने का अधिकार दिया गया है। एनआईओएस द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमाणपत्र उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरियों और अन्य सभी प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त हैं।

### 1.4 ओबीई कार्यक्रम के स्तर



## 1.5 ओबीई कार्यक्रम के लिए बहु प्रविष्टि प्रणाली



## 1.6 लक्ष्य समूह

यह कार्यक्रम 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों और 14 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों/प्रौढ़ों के लिए है। लक्ष्य समूह में 14 वर्ष और उससे अधिक आयु के किशोर एवं प्रौढ़ शिक्षार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं -

- औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बीच में ही स्कूल छोड़ चुके बच्चे।
- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की सतत शिक्षा योजना के नव-साक्षर।
- स्कूल न जाने वाले लड़के और लड़कियाँ।
- वंचित समूहों के वयस्क जैसे अनुसूचित जातियाँ (अनु.जा.), अनुसूचित जनजातियाँ (अनु.ज.जा.), अल्पसंख्यक समूह, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के व्यक्ति, खानाबदोश किशोर और प्रवासी जनसंख्या, विशेषकर महिलाएँ।
- जिन्होंने एनएलएमए का बेसिक शिक्षा साक्षरता मूल्यांकन उत्तीर्ण किया है।

## 1.7 सुविधाएँ और लचीलापन

- पंजीकरण अवधि अधिकतम पांच साल की अवधि के लिए मान्य।
- हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू अथवा किसी भी क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में चुनने की सुविधा।
- प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 7 वर्ष (उस वर्ष के 31 मार्च को) है।
- मूल्यांकन, एनआईओएस द्वारा प्रदान किए गए दिशा-निर्देशानुसार प्रत्यायित एजेंसियों (एए) द्वारा किया जाएगा।
- प्रत्येक स्तर पर पहली परीक्षा प्रवेश वर्ष से अगले वर्ष में होगी।

- ओबीई शिक्षार्थियों के लिए क्रेडिट संचयन की सुविधा उपलब्ध है। शिक्षार्थी प्रमाणपत्र के लिए तभी योग्य होगा/होगी जब वह संबंधित स्तर के लिए सभी विषयों में उत्तीर्ण हो जाए।
- प्रत्येक स्तर (क/ख/ग) के लिए अध्ययन की न्यूनतम अवधि एक शैक्षिक वर्ष है।

## 1.8 अध्ययन की योजना

### तालिका 1 : ओबीई स्तर क, ख और ग के लिए अध्ययन योजना

स्तर 'क' और 'ख'	स्तर 'ग'
<ul style="list-style-type: none"> <li>► एक भाषा (समूह 1 से) + 2 विषय (समूह 2 से) + 1 व्यावसायिक विषय (समूह-3 से)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► एक भाषा (समूह 1 से) + 3 विषय (समूह 2 से) + 1 व्यावसायिक विषय (समूह-3 से)</li> </ul>

नोट: प्रत्येक विषय को एक विषय कोड दिया गया है। विषय कोडों की सूची **तालिका-2** में दी गई है।

- एक शिक्षार्थी न्यूनतम एक अथवा अधिक भाषा (अधिकतम तीन भाषाएं) सहित अधिकतम सात विषय ले सकता/सकती है।
- शिक्षार्थी स्तर 'ख' और 'ग' पर एक अतिरिक्त व्यावसायिक विषय का चयन करने के लिए स्वतंत्र है।

### तालिका 2 : स्तर क, ख और ग के विषय

क्र.सं.	विषय	कोड		
		स्तर 'क'	स्तर 'ख'	स्तर 'ग'
<b>समूह 1 - भाषाएँ</b>				
1.	हिंदी	A101*	B101*	C101*
2.	अंग्रेजी	A109	B109	C109*
3.	बंगाली	A110	B110	C110
4.	मराठी	A111	B111	C111
5.	तेलुगू	A112	B112	C112
6.	उर्दू	A113	B113	C113
7.	गुजराती	A114	B114	C114
8.	कन्नड़	A115	B115	C115
9.	संस्कृत	A116*	B116*	C116*
10.	पंजाबी	A117	B117	C117
11.	तमिल	A118	B118	C118
12.	उडिया	A119	B119	C119
13.	मलयालम	A120	B120	C120
14.	असमिया	A121	B121	C121
15.	কাশ্মীরী	A122	B122	C122

16.	कोंकणी	A123	B123	C123
17.	डोगरी	A124	B124	C124
18.	नेपाली	A125	B125	C125
19.	बोडो	A126	B126	C126
20.	मणिपुरी	A127	B127	C127
21.	मैथिली	A128	B128	C128
22.	संथाली	A129	B129	C129
23.	सिंधी	A130	B130	C130

### समूह 2 - शैक्षिक विषय

24.	पर्यावरण अध्ययन	A102*	B102*	-
25.	गणित	A103*	B103*	C103*
26.	सामाजिक विज्ञान	-	-	C102*
27.	विज्ञान	-	-	C105*
28.	बेसिक कम्प्यूटर कौशल	A104*	B104*	C104*
29.	वेद	A145#	B145#	C145#
30.	विज्ञान	A146#	B146#	C146#
31.	योग	A147#	B147#	C147#

### समूह 3 - व्यावसायिक विषय

32.	कटाई, सिलाई एवं पोशाक निर्माण	A106*	B106	C106*
33.	सौंदर्य संबद्धन	A107	B107	C107
34.	खाद्य संसाधन	A108	B108	C108
35.	खिलौना निर्माण	A131	B131	C131
36.	चित्रकला	A132	B132	C132
37.	मधुमक्खी पालन	A133	B133	C133
38.	कला और शिल्प	A134	B134	C134
39.	फर्नीचर निर्माण	A135	B135	C135
40.	बांस शिल्प कला	A136	B136	C136
41.	वर्मी कम्पोस्टिंग	A137	B137	C137*
42.	कृषि	A138	B138	C138
43.	बेकरी	A139	B139	C139
44.	स्वास्थ्य और हमारा भोजन	A141	B141	C141
45.	फूलों की खेती	A142	B142	C142
46.	शिशु देखभाल सहायता	A143	B143	C143
47.	व्यावसायिक कौशल	A149#	B149#	C149#

**नोट :**

1. \* - नमूना स्व-अध्ययन सामग्री हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध है।
2. # - नमूना स्व-अध्ययन सामग्री हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध है।

एनआईओएस ओबीई कार्यक्रम के तीनों स्तरों पर अपने शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश की सुविधा प्रदान करता है। ऑनलाइन प्रवेश के लिए विस्तृत प्रक्रिया नीचे दी गई है :

## **2.1 ऑनलाइन प्रवेश**

प्रवेश के लिए पंजीकरण हेतु शिक्षार्थियों को सुविधा प्रदान करने के लिए वेबसाइट [www.nios.ac.in](http://www.nios.ac.in) तथा एनआईओएस के शिक्षार्थी पोर्टल [www.sdmis.nios.ac.in](http://www.sdmis.nios.ac.in) के माध्यम से प्रवेश 100% ऑनलाइन हैं। शिक्षार्थी ओबीई कार्यक्रम के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके सीधे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षार्थी के पास तीन विकल्प हैं :

- i. **भाग 2.3** में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके सीधे ऑनलाइन पंजीकरण करें।
- ii. निकटतम प्रत्यायित एजेंसी (अध्ययन केंद्र) पर जाएं और ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उनकी सहायता लें। मान्यता प्राप्त प्रत्यायित एजेंसियों (एए) की सूची एनआईओएस वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- iii. एनआईओएस के संबंधित क्षेत्रीय केंद्र पर जाएं और ऑनलाइन प्रवेश के लिए उनकी मदद लें। क्षेत्रीय केंद्रों की सूची परिशिष्ट-क में है।

## **2.2 प्रवेश की अवधि**

ऑनलाइन प्रवेश स्तर क, ख और ग के लिए निर्धारित योग्यता मानदंडों के अनुसार सभी शिक्षार्थियों के लिए खुला है। सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश की अवधि निम्नानुसार है :

**तालिका 3 : ऑनलाइन प्रवेश के लिए तिथियां**

स्तर	ऑनलाइन प्रवेश की तिथियाँ	परीक्षा जिसमें शिक्षार्थी पहली बार परीक्षा में बैठ सकते हैं
क/ख/ग	1 अप्रैल से 31 मई, 2021	फरवरी, 2022

## **2.3 ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया**

एनआईओएस की वेबसाइट [www.nios.ac.in](http://www.nios.ac.in) अथवा एनआईओएस के शिक्षार्थी पोर्टल [www.sdmis.nios.ac.in](http://www.sdmis.nios.ac.in) पर लॉग ऑन करें और निर्देशों तथा प्रक्रियाओं को ध्यान से पढ़ें। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले तालिका - 4 में उल्लिखित प्रवेश आवश्यकताओं के अनुसार सभी आवश्यक जानकारी और फोटो, हस्ताक्षर तथा प्रासंगिक दस्तावेज़ की सभी आवश्यक जानकारी और स्कैन की गई फोटो को तैयार रखें। शिक्षार्थी वैध मोबाइल नंबर/वैध ई-मेल आईडी के साथ तैयार रहें।

## तालिका 4 : प्रवेश के लिए आवश्यक

आवश्यकताएं	आवश्यकता/तिथियाँ	टिप्पणी
क. प्रवेश स्तर क ख ग	किसी भी स्तर पर न्यूनतम आयु 14 वर्ष से अधिक	31 मार्च, 2021 को शिक्षार्थी की न्यूनतम आयु पूरी होनी चाहिए
ख. प्रवेश की अंतिम तिथि	31 मई, 2021	
ग. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	किसी भी स्तर पर किसी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है	
घ. जन्म तिथि के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज	<p>1. नगर निगम प्राधिकरण अथवा जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय द्वारा 26.01.1989 को या उसके बाद जन्मे लोगों के लिए जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>2. भारत सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>3. पिछले विद्यालय से प्राप्त मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र/विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो। सरकारी विद्यालयों के मामले में स्थानांतरण प्रमाणपत्र/विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र पर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर होने चाहिए जबकि निजी स्कूलों के मामले में, वह राज्य/या जिला शिक्षा अधिकारी के सक्षम शिक्षा प्राधिकरण द्वारा अथवा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>4. भारत सरकार की संबंधित एजेंसी द्वारा जारी आधार कार्ड</p>	<p>नोट :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. अनाथ/किशोर/फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी हलफनामा (सर्टिफिकेट) अथवा आधार कार्ड की प्रति के साथ चिकित्सा विधि प्रमाणपत्र को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में माना जाएगा।</li> <li>ii. जन्म प्रमाणपत्र के अभाव में, गांव के सरपंच द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए।</li> <li>iii. एक बार प्रवेश फॉर्म में दी गई जन्मतिथि बदली नहीं जाएगी। कृपया ध्यान रखें और प्रवेश फॉर्म में सही जन्म तिथि दर्शाएं।</li> </ul>
ड. निवास का प्रमाण	सभी के लिए आवासीय पते का प्रमाण आवश्यक है। निम्नलिखित में से किसी एक की एक प्रति संलग्न करें। <ul style="list-style-type: none"> <li>1. आधार कार्ड अथवा राशन कार्ड अथवा पानी/टेलीफोन/बिजली बिल। नाबालिग होने की स्थिति में माता-पिता/अधिभावक का पासपोर्ट।</li> <li>2. किराए के आवास में रहने वाले शिक्षार्थी के लिए, माता-पिता/अधिभावक के नाम पर वर्तमान किराए के आवास के किसी भी प्रमाण के साथ स्थायी पते का कोई प्रमाण स्वीकार किया जाएगा।</li> <li>3. फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों/निराश्रित/प्रवासियों/झुग्गियों में रहने वाले/अनाथ बच्चे, जिनका वर्तमान में कोई आवासीय पता नहीं है, वे श्रेणी बताते हुए (ऊपर उल्लिखित) स्व-प्रमाणपत्र प्रदान करें और प्रमाणित करें की उनका कोई आवासीय पता नहीं है। फिर भी एनआईओएस के साथ पत्राचार के उद्देश्य से, ऐसे शिक्षार्थी को एक संपर्क पता प्रस्तुत करना होगा। स्व-प्रमाण पत्र गैर सरकारी संगठन/अनाथालय के साथ-साथ प्रायोजक अधिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और सरकारी कार्मिक/पंचायत स्तर के अधिकारी/नगर निगम अधिकारी/ब्लॉक स्तर के अधिकारी/जिला स्तर के अधिकारी या उच्च स्तर के द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।</li> </ul>	<p>नोट :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म आवश्यक सहायक दस्तावेजों को अपलोड किए बिना रद्द कर दिया जाएगा और शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।</li> <li>ii. यदि किसी शिक्षार्थी को अनुचित साधनों का उपयोग करने के कारण किसी अन्य बोर्ड द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता है तो वह एनआईओएस में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा।</li> <li>iii. यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित जानकारी छुपाता है, तो अंतिम चरण में भी प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।</li> </ul>
च. अन्य दस्तावेज	निम्नलिखित मूल दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति : <ul style="list-style-type: none"> <li>i. पासपोर्ट आकार का अद्यतन रंगीन फोटो</li> <li>ii. शिक्षार्थी के हस्ताक्षर (बेहतर हो कि काली स्थाही में)</li> <li>iii. अक्षमता प्रमाणपत्र (यदि किसी प्रकार की अक्षमता है तो)</li> </ul>	

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के दौरान ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु:

- क. कृपया ध्यान रखें कि प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रवेश चक्र की अंतिम तिथि पर बंद हो जाएगा। प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने वाले शिक्षार्थी आवेदन फॉर्म के साथ अथवा ऑनलाइन आवेदन जमा करने के 10 दिनों के अंदर शुल्क का भुगतान करें। यदि कोई शिक्षार्थी प्रवेश चक्र की अंतिम तिथि को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करता है, तो ऐसे शिक्षार्थी को शुल्क का ऑनलाइन भुगतान चक्र की अंतिम तिथि के पांच दिनों के भीतर करना अनिवार्य है।
- ख. दस्तावेजों के सत्यापन, प्रक्रिया शुल्क और पंजीकरण के दौरान शिक्षार्थी द्वारा दी गई जानकारी के सफलापूर्वक सत्यापन के बाद प्रवेश की पुष्टि की जाएगी और एक नामांकन संख्या दी जाएगी। एनआईओएस द्वारा प्रवेश की पुष्टि के पश्चात शिक्षार्थी के साथ ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी।
- ग. यदि ट्रांजेक्शन पूरा नहीं होता है तो शिक्षार्थी को ट्रांजेक्शन फिर करना होगा।
- घ. शिक्षार्थी पंजीकृत ईमेल पर भेजे गए नाम और पासवर्ड का प्रयोग कर एनआईओएस के शिक्षार्थी पोर्टल ([sdmis.nios.ac.in](http://sdmis.nios.ac.in)) पर लॉगइन कर नियमानुसार बाद में भुगतान कर सकते हैं।
- ड. शिक्षार्थी के लॉगइन में डैशबोर्ड, ई-सेवाओं के माध्यम से शिक्षार्थी संबंधी सभी गतिविधियों के प्रबंधन की अनुमति देगा।
- च. शिक्षार्थी को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित अनुभागों में सही और प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत करें तथा वैध, प्रामाणिक और संबंधित संगीन फोटो/रंगीन दस्तावेज़ अपलोड करें। भुगतान करने के बाद आवेदन फॉर्म में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधूरी/गलत जानकारी प्रस्तुत करना या अप्रासंगिक फोटो/दस्तावेज़ अपलोड करने से एनआईओएस किसी भी समय पंजीकरण/प्रवेश रद्द करने की कार्रवाई करेगा। ऑनलाइन प्रवेश से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए शिक्षार्थी [lsc@nios.ac.in](mailto:lsc@nios.ac.in) को ई-मेल कर सकते हैं।
- छ. शिक्षार्थी को आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों की हार्ड प्रति भेजने/जमा करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई मूल प्रति ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है। यदि एनआईओएस प्रबंधन को आवश्यकता होगी अथवा ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन पत्र/दस्तावेज़ में कोई विसंगति पाई जाएगी, तो शिक्षार्थी को दस्तावेजों और फोटो के साथ मुद्रित आवेदन पत्र जमा करना होगा। यदि इसकी आवश्यकता होगी तो इस बारे में शिक्षार्थी को ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।


एक ई-मेल आईडी का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है और एक मोबाइल नंबर और एक पते का उपयोग अधिकतम तीन शिक्षार्थियों के लिए किया जा सकता है।

शिक्षार्थी के लिए उपयोगकर्ता का नाम और एक पासवर्ड बनाया जाएगा और इसका विवरण उस प्रमाणित/ई-मेल पते पर भेजा जाएगा, जिसका उल्लेख शिक्षार्थी के बेसिक विवरण में किया गया था। ई-मेल में आगे की प्रक्रिया के लिए निर्देश भी होंगे। उपयोगकर्ता संबंधी जानकारी (उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड) को सुरक्षित रखें।

# राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस)

## मुक्त बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में ऑन-लाइन प्रवेश

### प्रक्रिया की चित्रात्मक प्रस्तुति



## **2.4 क्षेत्रीय केंद्रों/प्रत्यायित एजेंसियों (अध्ययन केंद्र) के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया**

एनआईओएस की सभी प्रत्यायित एजेंसियों (अध्ययन केंद्रों) को अधिकार है कि वे ऑनलाइन प्रवेश करने वाले शिक्षार्थियों की सहायता के लिए ऑनलाइन पंजीकरण काउंटर खोलें। वे प्रवेश-पूर्व परामर्श और एनआईओएस की सुविधाओं के बारे में भी शिक्षार्थियों की सहायता करेंगी। प्रत्यायित एजेंसी (एए) उपर्युक्त भाग 2.3 में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए वही प्रक्रिया अपनाएंगे।

## **2.5 प्रवेश के लिए प्रोसेसिंग शुल्क संरचना**

पंजीकरण, प्रवेश के लिए सत्यापन, डाटा प्रोसेसिंग, परीक्षाओं की मॉनिटरिंग, परिणाम, डेटा की प्रोसेसिंग, संयुक्त प्रमाणपत्र तैयार करना और शिक्षार्थियों को जारी करने के लिए उन्हें एए को भेजने हेतु प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाता है। स्तर के अनुसार शुल्क है :

**तालिका 5: स्तरवार प्रक्रिया शुल्क**

स्तर	प्रति शिक्षार्थी शुल्क (रु. में)
‘क’	300*
‘ख’	500*
‘ग’	800*

प्रक्रिया शुल्क में अध्ययन सामग्री का मूल्य शामिल नहीं है क्योंकि यह एनआईओएस द्वारा प्रदान नहीं की जाती।

\* उपर्युक्त शुल्क के अतिरिक्त प्रत्येक ऑनलाइन ट्रांसेक्शन के लिए ₹.50/- का भुगतान किया जाएगा।

## **2.6 प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान कैसे करें?**

शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग, उपलब्ध भुगतान माध्यमों द्वारा ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

## **2.7 प्रवेश रद्द होना**

शिक्षार्थी का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा यदि :

- दिया गया प्रोसेसिंग शुल्क कम हो;
- सहायक दस्तावेज उचित न हों,
- यदि जाली कागजात जमा किए गए हैं, यदि त्रुटिपूर्ण और गलत जानकारी दी गई हो।

**नोट :**

- एक बार प्रवेश रद्द करने पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा।
- एक बार भुगतान किया गया प्रोसेसिंग शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

## **2.8 प्रवेश की पुष्टि**

- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा किसी विशिष्ट स्तर में प्रवेश की पुष्टि के लिए शिक्षार्थी को एनआईओएस के रिकॉर्ड के अनुसार ऑनलाइन पहचान पत्र भेजा जाएगा जिसमें शिक्षार्थी का विवरण होगा। यदि इसमें प्रवेश लेने के बाद किसी स्तर पर कोई विसंगति पाई जाती है, यहां तक कि यदि पहचान पत्र जारी भी कर दिया जाता है, तब भी, शिक्षार्थी का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और यदि शिक्षार्थी परीक्षा में भी बैठ जाता है, तब भी उनका परीक्षा परिणाम रोक दिया जाएगा।

- ii. कृपया पहचान पत्र में दिए गए अपने विवरण की जांच कर लें। यदि शिक्षार्थी के व्यक्तिगत विवरण, पते, फोटो इत्यादि में कोई विसंगति है तो इसे ई-सेवा के माध्यम से तुरंत ठीक कराएं। शिक्षार्थी अपना पहचान पत्र, एनआईओएस में अध्ययन पूर्ण होने तक संभालकर रखें।
- iii. प्रवेश रिकॉर्ड में संशोधन केवल नियमानुसार (जो एनआईओएस की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं) ही किया जाएगा।

## **2.9 प्रवेश के बाद ई-सेवाओं के माध्यम से अन्य सुविधाएं**

ई-सेवाओं के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली सेवाएं इस प्रकार हैं :

- i. पहचान पत्र की दूसरी प्रति जारी करना।
- ii. विषय परिवर्तन/अतिरिक्त विषय
- iii. अध्ययन केंद्र/प्रत्यायित एजेंसी बदलना
  - दस्तावेजों की दूसरी प्रति जारी करना
  - नाम, पिता का नाम, माता का नाम और/अथवा अभिभावक के नाम में नगण्य संशोधन
  - शिक्षार्थी के नाम में परिवर्तन
  - जन्मतिथि, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अभिभावक के नाम में परिवर्तन।

## **2.10 केवल ई-सेवाओं के माध्यम से प्रवेश रिकॉर्डों में संशोधन की प्रक्रिया**

एनआईओएस द्वारा किसी विशेष स्तर में प्रवेश की पुष्टि एक ऑनलाइन पहचान पत्र जारी करके की जाती है जिसमें शिक्षार्थी का नाम, जन्म तिथि, चुने गए विषयों आदि का विवरण होता है। ये विवरण वही हैं जो शिक्षार्थी ने एनआईओएस में प्रवेश लेते समय भरे थे। शिक्षार्थी से अनुरोध है कि वे एनआईओएस के शिक्षार्थी पोर्टल [www.sdmis.nios.ac.in](http://www.sdmis.nios.ac.in) पर अपना विवरण तुरंत जांच लें।

यदि शिक्षार्थी के व्यक्तिगत विवरण, पते, फोटो इत्यादि में कोई विसंगति है तो इसे ई-सेवाओं के माध्यम से संशोधित कराया जाए।

- प्रवेश के आंकड़ों में संशोधन के लिए सहायक दस्तावेज़ अपलोड करने पर पहली परीक्षा में बैठने से पहले अथवा प्रवेश के लिए पंजीकरण की तिथि से तीन वर्ष के अंदर विचार किया जाएगा।
- पंजीकरण की तिथि से तीन वर्ष के बाद संशोधन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- दस्तावेज की संशोधित प्रति में उपर्युक्त संशोधन के लिए एनआईओएस के नियमानुसार लागू शुल्क भी लिया जाएगा, यह शुल्क ऑनलाइन लिया जाएगा।
- रिकॉर्ड में संशोधन के लिए अनुरोध करते समय ‘अद्यतन संशोधन नियम’ लागू होंगे।
- संशोधित एवं सही किए गए दस्तावेज़ (उपलब्धि – सह स्थानांतरण प्रमाणपत्र) तभी जारी किए जाएंगे जब एनआईओएस द्वारा जारी त्रुटिपूर्ण विवरणों के साथ मूल दस्तावेज़ और निर्धारित शुल्क जमा किए जाएंगे।

## तालिका 6 : प्रवेश रिकॉर्ड में संशोधन के लिए शुल्क

क्र.सं.	संशोधन की प्रकृति	राशि ( रु. में )
1.	प्रवेश के पश्चात शिक्षार्थी के नाम/माता का नाम/पिता का नाम/अभिभावक के नाम में संशोधन	100
2.	शिक्षार्थी की जन्म तिथि में संशोधन	100
3.	शिक्षार्थी के नाम/माता का नाम/पिता का नाम/अभिभावक के नाम में परिवर्तन	200
4.	शिक्षार्थी की जन्म तिथि में परिवर्तन (नियमानुसार)	200
5.	फोटो में संशोधन	100
6.	शिक्षार्थी के पते में परिवर्तन	100
7.	अध्ययन केंद्र में परिवर्तन	400
8.	पहचान पत्र की दूसरी प्रति	100
9.	दूसरी बार जारी किए गए पहचान पत्र की दूसरी प्रति	500

## 3

# एनआईओएस में अध्ययन प्रक्रिया

## 3.1 पाठ्यक्रम और स्व-अध्ययन सामग्री

- ओबीई कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम एनआईओएस द्वारा तैयार किया गया है।
- ओबीई कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध कराये जाने वाले विषयों में शैक्षिक और व्यावसायिक विषय शामिल हैं। इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों को कार्य क्षेत्र से परिचित कराना है।
- यह पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों को जीवन से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में सोचने का अवसर प्रदान करता है।
- इसमें राष्ट्रीय मुद्दों और सामाजिक सरोकारों, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, शांति और मूल्य भी शामिल हैं।
- गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है।
- शिक्षार्थियों की प्रतिभा और गुणों को भी महत्व दिया गया है।
- ओबीई के लिए नमूना अध्ययन सामग्री एनआईओएस वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- प्रत्यायित एजेंसियां राज्य सरकार अथवा अन्य राष्ट्रीय स्तर के स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार की गई पाठ्य पुस्तकों का भी प्रयोग कर सकती हैं। इसलिए शिक्षार्थियों को एए द्वारा प्रयोग की जाने वाली स्व-अध्ययन सामग्री/पाठ्य पुस्तक के लिए संबंधित एए से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

## 3.2 ओबीई कार्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन के घंटे

- ओबीई कार्यक्रम में पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए कम से कम 100 घंटे प्रति विषय समय दिया गया है।
- फिर भी, किसी पूर्व-व्यावसायिक विषय के मामले में, प्रायोगिक कार्य के लिए, 50 घंटे का अतिरिक्त समय (एक व्यावसायिक विषय के लिए कुल 150 घंटे) दिया जाना चाहिए।
- प्रति विषय अध्ययन के घंटे निम्न प्रकार से हैं :-

**तालिका 7: अध्ययन के घंटे**

स्तर	विषय	कुल घंटे	अध्ययन केंद्र पर अध्ययन के लिए घंटे (पीसीपी)	स्व-अध्ययन के लिए अध्ययन के घंटे
क और ख	एक भाषा	100	50	50
	दो शैक्षिक विषय	200	100	100
	एक व्यावसायिक विषय	150	30 (सिद्धांत) +70 (प्रायोगिक)	20 (सिद्धांत) +30 (प्रायोगिक)
कुल	कुल विषय = 4	450	250	200
ग	एक भाषा	100	50	50
	तीन शैक्षिक विषय	300	150	150
	एक व्यावसायिक विषय	150	30 (सिद्धांत) +70 (प्रायोगिक)	20 (सिद्धांत) +30 (प्रायोगिक)
कुल	कुल विषय = 5	550	300	250

शिक्षार्थियों को स्वयं एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की आदत विकसित करनी चाहिए। इससे मुख्य धारा से जुड़ने और निरंतर जीवन पर्यंत सीखने में मदद मिलेगी।

### **3.3 शिक्षार्थी के एए/अध्ययन केंद्र के बारे में**

प्रत्यायित एजेंसी (अध्ययन केंद्र) बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगी:

- ▶ प्रत्येक स्तर पर पाठ्यक्रम में निर्धारित सीमा तक शिक्षार्थियों को शैक्षिक सहायता।
- ▶ शिक्षार्थियों की पाठ्यक्रम से संबंधित समस्याओं/प्रश्नों को हल करने के लिए परामर्श।
- ▶ परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की सूचना देना।
- ▶ परीक्षा आयोजित करना।
- ▶ एनआईओएस से प्राप्त करने के बाद किसी अतिरिक्त शुल्क के बिना उपलब्धि/परिणाम सह-स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करना।

परीक्षा के लिए निम्नांकित महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखें :

- i. संबंधित प्रत्यायित एजेंसी द्वारा निर्धारित तिथियों पर वर्ष में एक बार फरवरी के महीने में परीक्षा आयोजित की जाती है।
- ii. पहली बार पंजीकरण करने वाले शिक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने से पहले एक वर्ष तक अध्ययन करना होगा।
- iii. परीक्षा का माध्यम हिंदी/संस्कृत/अंग्रेजी/उर्दू/क्षेत्रीय भाषा हो सकता है।
- iv. स्तर 'क' और 'ख' के लिए प्रश्न पत्र 100 अंकों का और परीक्षा की अवधि ढाई घंटे की होगी जबकि स्तर -ग' के लिए प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा और इसकी अवधि तीन घंटे होगी।
- v. परीक्षा की तिथि सूची संबंधित प्रत्यायित एजेंसी द्वारा तैयार की जाएगी।

## 4.1 क्रेडिट संचयन

शिक्षार्थी प्रवेश के पांच वर्ष की वैधता की अवधि में होने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं में पाँच बार परीक्षा में बैठने का अवसर प्राप्त कर सकता/सकती है। एनआईओएस आपके डाटा बेस में संबंधित विषयों में तब तक क्रेडिट संचय करता रहेगा जब तक शिक्षार्थी प्रमाणपत्र हेतु आवश्यक सभी विषयों में सफलता प्राप्त न कर ले। शिक्षार्थी बेहतर शिक्षा और अच्छे परिणाम के लिए इस सुविधाजनक योजना का लाभ उठा सकते हैं।

## 4.2 परिणाम सह-स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करना

योग्य शिक्षार्थियों/अभ्यर्थियों को संबंधित प्रत्यायित एजेंसी तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक संयुक्त प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

## 4.3 प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए मानदण्ड

ओबीई कार्यक्रम के किसी भी स्तर पर उत्तीर्ण होने और प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए, एनआईओएस द्वारा निर्धारित मानदण्ड तालिका-8 में दिए गए हैं :-

**तालिका 8 : मुक्त बेसिक शिक्षा परीक्षाओं के विभिन्न स्तरों पर प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए मानदण्ड**

स्तर 'क' और 'ख'	स्तर 'ग'
एक भाषा (समूह-1 से) + 2 विषय (समूह-2 से कोई दो विषय) + व्यावसायिक विषय (समूह-3 से)	एक भाषा (समूह-1 से) + 3 विषय (समूह-2 से कोई तीन विषय) + व्यावसायिक विषय (समूह-3 से)

#### 4.4 मूल्यांकन नियम (ग्रेडिंग का स्वरूप)

तालिका 9: ग्रेडिंग प्रवृत्ति

अंक सीमा (% में)	ग्रेड	विवरण
75-100	ए	सर्वोत्कृष्ट
60-74	बी	बहुत अच्छा
45-59	सी	अच्छा
33-44	डी	संतोषजनक
33 से कम	ई	विषय उत्तीर्ण करना शेष है (एसवाइसी)

#### 4.5 दस्तावेजों की दूसरी प्रति जारी करना

संशोधित दूसरी प्रतियों के लिए शुल्क निम्नानुसार लिया जाएगा :

तालिका 10 : विविध शुल्क

शुल्क की प्रवृत्ति	शुल्क की राशि (रु. में)
परिणाम सह-स्थानांतरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति	200/-
डाक खर्च (यदि सामग्री स्पीड पोस्ट से भेजी जानी है)	50/-
एनआईओएस दस्तावेजों का सत्यापन (निजी कंपनियों और स्वयं शिक्षार्थियों के लिए)	500/-
प्रमाणपत्र प्राप्त होने की तिथि से 48 घंटों के अंदर तत्काल आधार पर प्रमाणपत्रों का सत्यापन (निजी कंपनियों और स्वयं शिक्षार्थियों के लिए)	1000/-
डाक खर्च (यदि सामग्री स्पीड पोस्ट से भेजी जानी है)	50/-

नोट :

- परिणाम सह-स्थानांतरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए ई-सेवा के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।
- प्रमाणपत्र प्राप्त शिक्षार्थी को पहचान पत्र की दूसरी प्रति नहीं दी जाएगी।
- प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के मामले में, शपथ पत्र आवश्यक है।

#### 4.6 अनुचित साधन (यूएफएम)

शिक्षार्थी द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किए जाने पर उसकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और उसे आगामी परीक्षाओं में बैठने से भी रोका जा सकता है। शिक्षार्थी का प्रवेश भी रद्द किया जा सकता है।

## एनआईओएस परीक्षाओं के संदर्भ में सामान्य तथा विशेष प्रावधान (अक्षमतानुसार)

दृष्टिहीनता, दृष्टिबाधिता, वाकबाधिता, गति अक्षमता और अन्य प्रकार की अक्षमता वाले जिन (अक्षमतानुसार) अक्षम शिक्षार्थियों को परीक्षा लिखने में कठिनाई होती है उनके लिए आवश्यकता के आधार पर लेखक, तकनीकी उपकरणों आदि की सुविधा का प्रावधान है। एनआईओएस की समय-समय पर अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार उनकी अक्षमताओं के आधार पर सामान्य सुविधाओं का प्रावधान है। स्पष्टता के लिए उपर्युक्त प्रावधानों को खण्डों तथा उप-खण्डों में परिभाषित किया गया है।

### **5.1 प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताएँ**

विकलांगता अधिनियम 1995 तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में निर्दिष्ट शिक्षार्थियों की अक्षमता तथा वे शिक्षार्थी जिन्हें अधिगम में विशेष परेशानियाँ हैं और वे विशेष सुविधाएँ प्राप्त करना चाहते हैं अथवा जिन्हें परीक्षा में कुछ विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है उन्हें एनआईओएस के संबंधित क्षेत्रीय केंद्र को दिए गए प्रोफार्मा में एक आवेदन जमा करना आवश्यक है। एक उचित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दें जिसमें अक्षमता की प्रकृति तथा अक्षमता की सीमा दर्शाई गई हो।

अक्षम शिक्षार्थियों के लिए निम्नांकित में से किसी के द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

- i) केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के सरकारी अस्पताल द्वारा जारी अक्षमता प्रमाणपत्र।
- ii) राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त संस्थानों जैसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड, स्पैस्टिक सोसायटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी अक्षमता प्रमाणपत्र।
- iii) संबंधित राज्यों के गैर-सरकारी संगठनों/भारतीय पुनर्वास परिषद् के साथ पंजीकृत चिकित्सकों/केंद्र सरकार/संबंधित राज्यों की राज्य सरकार द्वारा जारी अक्षमता प्रमाणपत्र।

परीक्षा में बैठने के दौरान शिक्षार्थी प्रमाणपत्र में दर्शाए अनुसार उत्तर पुस्तिका के ऊपर अक्षमता लिखें।

### **5.2 सामान्य प्रावधान**

#### **5.2.1 अतिरिक्त समय का प्रावधान**

अक्षम शिक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए अक्षमताओं वाले सभी शिक्षार्थियों की स्थित उपर्युक्त अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार प्रमाणित की जाए।

- i) लेखक द्वारा पढ़ने, प्रश्नपत्रों को समझने, लेखक को डिक्टेशन देते हुए लगातार बैठे रहने, थकान आदि की पूर्ति करने के लिए प्रत्येक विषय की परीक्षा के लिए 20 मिनट प्रति घंटे का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।
- ii) ऊपर निर्दिष्ट चिकित्सा प्रमाणपत्र में उल्लिखित लघु अंतराल की आवश्यकता हो तो उपर्युक्त के अतिरिक्त दस मिनट प्रति घंटे के लघु अंतराल की अनुमति दी जाएगी।

### 5.2.2 लेखक का प्रावधान

लेखक, रीडर, प्रयोगशाला सहायक की सेवाओं का लाभ केवल संबंधित विषय की आवश्यकतानुसार उठाया जा सकता है। निम्नलिखित श्रेणियों के शिक्षार्थी इस सुविधा के पात्र होंगे :

- क. ऑटिज़म से ग्रसित शिक्षार्थी
- ख. मानसिक पक्षाघात
- ग. मंदबुद्धि सहित दिमागी अक्षमता
- घ. बहुविध अक्षमताएँ
- ड. देखने में अक्षम, दृष्टि बाधित
- च. बोलने तथा सुनने की कमी।
- छ. ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रमाणित अन्य क्षमताओं वाले शिक्षार्थी, विशेष रूप से अधिगम में अक्षमताएँ जैसे डाइस्लेक्सिया, डाइस्ग्राफिया, डायस्कैलकुलिया, डायस्प्राक्सिया तथा स्वर विकास की अक्षमता।
  - i) ऐसे शिक्षार्थी जिसे हाथ चलाने में कठिनाई हो और जिसे बोलने तथा सुनने में भी कठिनाई हो, वह सांकेतिक भाषा समझने वाले विशेषज्ञ की मदद ले सकता है जो सांकेतिक भाषा समझते हों।
  - ii) हाथ में चोट लगने पर शिक्षार्थी को लेखक की सुविधा दी जा सकती है।
  - iii) अचानक बीमार होने के मामले में जहां अस्थायी प्रकृति की अक्षमता हो, लेखक की सेवा की अनुमति निर्धारित विधिवत प्रमाणित चिकित्सा प्रमाणपत्र देने के बाद दी जाएगी।
  - iv) ऐसे अक्षम शिक्षार्थी जिसने लेखक की सुविधा का चयन किया है, यदि वह शिक्षार्थी इच्छुक है तो उसे चित्र आदि स्वयं बनाने की अनुमति दी जाए।
  - v) अक्षम शिक्षार्थी को आवश्यकता पड़ने पर रीडर की सुविधा प्रदान की जाए।
  - vi) यदि शिक्षार्थी को परीक्षा के दौरान परीक्षा हॉल में एक सहायक की आवश्यकता है तो आवेदन फॉर्म के साथ ही, दिए गए प्रोफार्म में पूर्व आवेदन अवश्य जमा करें और अनुमति प्राप्त करें।
  - vii) यदि शिक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में पहुंचने तथा सीट ढूँढने में सहायक की आवश्यकता है तो आवेदन फार्म के साथ दिए गए प्रोफार्म में पहले ही आवेदन जमा करें और अनुमति प्राप्त करें।
  - viii) विशेष मामलों में शिक्षार्थी को केवल प्रेरित करने तथा समर्थन के लिए उसके निकट संबंधी, सहायक अथवा संबंधित अध्यापक परीक्षा हॉल में उपस्थित हो सकते हैं। इसके लिए संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, एनआईओएस से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

नोट :

- i) लिपिक तथा लेखक एक दूसरे के पर्याय हैं और इस कार्य के लिए प्रयोग किया जा रहा कोई अन्य नाम भी इसके लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस दस्तावेज़ में इसके लिए लेखक का प्रयोग किया गया है।
- ii) यदि आवश्यक हो तो, शिक्षार्थी को भिन्न विषयों के लिए भिन्न-भिन्न लेखकों का चयन करने की अनुमति है। शिक्षार्थी को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उसे किस भाषा में लेखक की आवश्यकता है।

- iii) परीक्षा केंद्र परिसर में देखभाल करने वाले की प्रविष्टि हेतु आवेदन प्रोफार्मा, परीक्षा केंद्र में और एनआईओएस वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- iv) लेखक/लिपिक का प्रबंध शिक्षार्थी द्वारा स्वयं किया जा सकता है अथवा केंद्र अधीक्षक द्वारा भी किया जा सकता है। अनुमोदन की प्रक्रिया तथा लेखकों की पात्रता इस अध्याय में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार होगी।

### 5.2.2

#### (क) एक लेखक के रूप में पात्रता

- i) लेखक उसी विषय का नहीं होना चाहिए जिस विषय में शिक्षार्थी परीक्षा दे रहा है। फिर भी, यदि शिक्षार्थी और लेखक, पाठक, प्रयोगशाला सहायक एक ही विषय के हैं तो लेखक, पाठक, प्रयोगशाला सहायक की शैक्षिक योग्यता परीक्षा में बैठने वाले दिव्यांग शिक्षार्थी से कम से कम एक कक्षा कम होनी चाहिए।
- ii) आपातकालीन अवस्था में लेखक, पाठक, प्रयोगशाला सहायक में परिवर्तन करने की सुविधा होगी। शिक्षार्थी की आवश्यकतानुसार विभिन्न विषयों में लिखने के लिए एक से अधिक लेखकों, पाठक, प्रयोगशाला सहायक की अनुमति होगी।
- iii) शिक्षार्थी परीक्षा से एक दिन पहले केंद्र अधीक्षक की उपस्थिति में लेखक से मिल भी सकता है।
- iv) केंद्र अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे कि दिव्यांग शिक्षार्थी को ये सुविधाएँ दी गई हैं और क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, एनआईओएस को इसके पालन की सूचना देंगे। संबंधित परीक्षा केंद्र अधीक्षक जहां तक संभव हो, स्कूल से एक उपयुक्त व्यक्ति चुनेंगे और उनका नाम एवं फोटो संबंधित क्षेत्रीय केंद्र को शीघ्र ही भेजेंगे जिसके साथ शिक्षार्थी और लेखक, पाठक, प्रयोगशाला सहायक विवरण देते हुए पूरी रिपोर्ट विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ भेजेंगे।

#### (ख) लेखक, पाठक, प्रयोगशाला सहायक, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने वाले दुभाषिए के लिए शुल्क

- (i) परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक द्वारा प्रत्येक शिक्षार्थी (दिव्यांग) को परीक्षा के प्रत्येक सत्र के लिए लेखक को रु. 100/- का शुल्क दिया जाएगा। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले शिक्षार्थियों को किसी प्रभार/शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
- (ii) जो शिक्षार्थी अस्थायी अक्षमताओं के कारण लेखक की सुविधा का प्रयोग कर रहे हैं, उसका शुल्क वे स्वयं देंगे।

### 5.2.3 कम्प्यूटरों का प्रयोग

ऐसे शिक्षार्थी जिनके हाथ न्यूनतम कार्य करते हैं, देखने में अक्षम तथा दृष्टि बाधित, सीखने में अक्षम, मानसिक पक्षघात, ऑटिज्म तथा अन्य किसी अक्षमता वाले शिक्षार्थी को कम्प्यूटर प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी, यदि वह संबंधित क्षेत्रीय निदेशक से पहले ही इसके लिए अनुरोध करते हैं।

- i) यदि वे कम्प्यूटर का प्रयोग करना चाहते हैं तो शिक्षार्थियों को सहायक उपकरणों सहित अपना कम्प्यूटर लाना होगा।
- ii) उत्तर देने के लिए शिक्षार्थी को आवश्यक सॉफ्टवेयर (टैक्स्ट रीडिंग सॉफ्टवेयर सहित) भी लाना होगा।
- iii) केंद्र अधीक्षक पर्याप्त बिजली आपूर्ति तथा कम्प्यूटर का प्रयोग करने वाले शिक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मुद्रण के लिए प्रिंटर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

**नोट :** केंद्र अधीक्षक को मशीनों की जांच करने का अधिकार है कि पहले से फीड की गई जानकारी मशीनों में न हो। शिक्षार्थी को ये सब औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए परीक्षा आरंभ होने से एक घंटा पहले रिपोर्ट करना होगा।

#### **5.2.4 बैठने की व्यवस्थाएँ तथा अन्य सहायता**

- क. यदि परीक्षा कक्ष में जाना संभव नहीं है तो छोल चेयर का प्रयोग करने वाले एवं आने जाने में अक्षम शिक्षार्थियों को भूमि तल पर परीक्षा लिखने की सुविधा दी जाएगी।
- ख. भवन में पहुँचना आसान तथा उचित रैम्प हो और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हों। केंद्र अधीक्षक अक्षम शिक्षार्थियों के लिए शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
- ग. केंद्र अधीक्षक निरीक्षण हेतु एक अलग परीक्षा कक्ष में अधिकतम चार शिक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था करेंगे जिसमें अलग से एक निरीक्षक होगा।
- घ. फिर भी यदि आवश्यक हो तो, विशिष्ट अक्षमता वाले शिक्षार्थियों के लिए एक निरीक्षक सहित एक अलग कक्ष का प्रबंध किया जाएगा।
- ड. परीक्षा कक्ष शारगुल से दूर तथा पूर्ण रूप से प्रकाशमय और हवादार होना चाहिए।

### **5.3 विशेष प्रावधान**

अनुच्छेद में वर्णित सामान्य प्रावधानों के अतिरिक्त कुछ विशेष प्रावधान भी हैं।

#### **5.3.1 देखने में अक्षम तथा दृष्टि बाधित**

- i. देखने में अक्षम तथा दृष्टि बाधित शिक्षार्थियों को जहां कहीं लागू हो सिद्धांत परीक्षाओं में ज्यामिति के चित्र बनाने में, मानचित्रों के अंकन एवं लेबल करने संबंधी प्रश्नों के विकल्प प्रश्न प्रदान किए जाएंगे।
- ii. देखने में अक्षम शिक्षार्थियों को लेखक की सहायता लेने/ब्रेल टाइपराइटर अथवा कंप्यूटर का परीक्षा में प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी। शिक्षार्थी को परीक्षा लिखने के लिए अपने ब्रेल, टाइपराइटर, इत्यादि स्वयं लाने होंगे।

#### **5.3.2 सुनने में अक्षम शिक्षार्थी**

- i. सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने वाले दुभाषिए को सुनने में अक्षम शिक्षार्थियों को प्रश्न समझाने के लिए परीक्षा कक्ष में जाने की अनुमति दी जाएगी।
- ii. एक परीक्षा कक्ष में एक दुभाषिया पर्याप्त होगा। दुभाषिए के प्रबंध के बारे में केन्द्र अधीक्षक निर्णय ले सकते हैं।

**नोट :** यदि आवश्यक हो तो, शिक्षार्थी को विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न लिपिक/लेखक चुनने की अनुमति है। शिक्षार्थी को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उसे किस भाषा में लेखक की आवश्यकता है।

#### **5.3.3 ऑटिज्म, मानसिक पक्षाधात, बौद्धिक अक्षमता (मानसिक बीमारी) और बहुविध अक्षमताएँ**

- i. माउस के स्थान पर ट्रैकबॉल, संचार बोर्ड इत्यादि समरूप हार्डवेयर वाले कंप्यूटर की अनुमति दी जाएगी।
- ii. यदि शिक्षार्थी विशेष रूप से अक्षम हों तो उन्हें आरामदायक कुर्सी, मेज, बेड इत्यादि परीक्षा कक्ष में उपलब्ध कराए जाएंगे।
- iii. जिन्हें आवश्यकता हो वहाँ प्रश्नपत्र पढ़ने की व्यवस्था भी की जाएगी।

**नोट :** शिक्षार्थी अपने उपकरणों का स्वयं प्रबंध करेंगे।

#### **5.3.4 सीखने में अक्षम शिक्षार्थी**

विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और सामान्य शर्तों में भी उल्लेखित किए अनुसार लेखक, कम्प्यूटर का प्रयोग और अतिरिक्त समय के प्रावधान की अनुमति है।

#### **5.3.5 कुष्ठ उपचारित शिक्षार्थी**

जैसा कि 5.1 में उल्लेखित है चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करने पर कुष्ठ उपचारित हुए शिथार्थियों के लिए सामान्य छूट लागु होगी।

## एनआईओएस के क्षेत्रीय केन्द्रों की सूची

क्षेत्र का नाम	पता	अधिकार क्षेत्र में शामिल राज्य
1. इलाहाबाद	<b>राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान</b> क्षेत्रीय केन्द्र, 19/17, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कच्चहरी रोड, इलाहाबाद-211002 (उत्तर प्रदेश), फोन : (का) 0532-2548154; फैक्स : 0532-2548149, ई-मेल: rcallahabad@nios.ac.in	उत्तर प्रदेश
2. अमेठी	<b>राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान</b> क्षेत्रीय केन्द्र, लखहरा भवन, मुशीगंज रोड, सरबनपुर-227405, अमेठी (उ.प्र.) ईमेल: rcamethi@nios.ac.in	अमेठी और गौरीगंज
3. बैंगलुरु	<b>राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान</b> क्षेत्रीय केन्द्र, निदेशक कार्यालय (व्यावसायिक शिक्षा), तीसरी मजिल, पीयूई भवन, 18वां क्रॉस सेमपिज रोड, मालेश्वरम, बैंगलुरु- 560012, कर्नाटक फोन: 23464223 फैक्स: 23464222, ईमेल: rcbengaluru@nios.ac.in	कर्नाटक
4. भोपाल	<b>राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान</b> क्षेत्रीय केन्द्र, मानस भवन, श्यामला हिल, भोपाल-462002, मध्य प्रदेश फोन: 0755-2661842, 2660331; फैक्स : 2661842 ई-मेल: rcbhopal@nios.ac.in	मध्य प्रदेश
5. भुवनेश्वर	<b>राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान</b> क्षेत्रीय केन्द्र, ईएलटीआई, कैम्पस, मैत्री विहार, चंद्रशेखर पुर, भुवनेश्वर - 751023 फोन: 0674-2302688, ई-मेल: rcbbsr@nios.ac.in	ओडिशा
6. चंडीगढ़	<b>राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान</b> क्षेत्रीय केन्द्र, वाईएमसीए कॉम्प्लैक्स सेक्टर-11सी, चंडीगढ़-160011 फोन : (का) 0172-2744915, 3950979; फैक्स : 0172-2744952 ई-मेल: rcchandigarh@nios.ac.in; nosrcchd@eth.net	हरियाणा (गुडगांव, फरीदाबाद और झज्जर जिलों को छोड़कर), पंजाब और चंडीगढ़
7. चेन्नई	<b>राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान</b> क्षेत्रीय केन्द्र, लेडी विलांगटन कैम्पस, कामराजर सलाई, ट्रिप्पलीकेन, चेन्नई-600005 फोन: 044-28442237(फैक्स) 044-28442239 ई-मेल: rcchennai@nios.ac.in	तमिलनाडु, पांडिचेरी
8. देहरादून	<b>राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान</b> क्षेत्रीय केन्द्र, अमृत प्लाजा बिल्डिंग, नियर बांगली कोठी चौक, मोठे रोवला रोड, पी.ओ. अजापुर कलाँ, देहरादून-248001 फोन: 0135-2532566, 2532592 फैक्स: 0135-2629166 ई-मेल: rcdehradun@nios.ac.in	उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, तथा जे.पी. नगर (अमरोहा) जिले
9. दिल्ली	<b>राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान</b> क्षेत्रीय केन्द्र, ए-31, इंस्टीट्यूशनल एरिया, एन.एच.-24, सेक्टर-62, नोएडा (उ.प्र.) फोन : (का) 0120-2404914-15, फैक्स : 0120-2404916, ई-मेल: rcdelhi@nios.ac.in	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा इसके उ.प्र. एवं हरियाणा के नजदीकी जिले जिनमें शामिल हैं गौतम बुद्ध नगर (नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा), गाज़ियाबाद, गुडगांव, फरीदाबाद तथा झज्जर।
10. धर्मशाला	<b>राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान</b> क्षेत्रीय केन्द्र, दूसरा तल, चामूंडा कॉम्प्लैक्स (आयकर विभाग के पास) दरी रोड, धर्मशाला, जिला काशीगढ़, हिमाचल प्रदेश-176057 फोन : (का) 001892-222251, ई-मेल: rcdharamshala@nios.ac.in	हिमाचल प्रदेश

क्षेत्र का नाम	पता	अधिकार क्षेत्र में शामिल राज्य
11. गांधीनगर	<b>राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान</b> क्षेत्रीय केन्द्र, मलटी स्टोरी बिल्डिंग, डी विंग, सातवां तल, सेक्टर-11, पर्थिका आश्रम के पास, गांधीनगर-382011, फोन : 079-23220410 फैक्स : 079-23220411 ई-मेल: rcgandhinagar@nios.ac.in	गुजरात
12. गंगटोक	<b>राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान</b> क्षेत्रीय केन्द्र, टीचर्स गेस्ट हाउस, सयारी, गंगटोक-ईस्ट सिक्किम-737102 ई-मेल: srcgangtok@nios.ac.in	सिक्किम और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के सीमावर्ती जिले
13. गुवाहाटी	<b>राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान</b> क्षेत्रीय केन्द्र, असम प्रकाशन बोर्ड का भवन, (असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास) प्रथम तल, बामुनी मैदान, गुवाहाटी-781021 (आसाम) फोन : 0361-2650541, 2651201; फैक्स : 0361-2650542 ई-मेल: rcguwahati@nios.ac.in	नागलैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा
14. हैदराबाद	<b>राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान</b> क्षेत्रीय केन्द्र, IV तल, श्रीकृष्ण देवराय, तेलुगु भाषा निलयम, ट्रस्ट नं. 4-4-8, सुल्तान बाजार, हैदराबाद-500095 फोन : 040-24162859; फैक्स : 040-24060712	तेलंगाना
15. जयपुर	<b>राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान</b> क्षेत्रीय केन्द्र, श्री कृष्णन 5-6, पदमावती कॉलोनी, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन, किंग्स रोड, निर्माण नगर, जयपुर (राजस्थान) -302006 फोन : (का) 0141-2812418 (फैक्स) 2812519 ई-मेल: rcjaipur@nios.ac.in	राजस्थान
16. जम्मू	<b>राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान</b> क्षेत्रीय केन्द्र 105, कस्म नगर, त्रिकुट यात्री निवास के सामने, बैद मंदिर रोड, अम्बफाला, जम्मू-180005 ई-मेल: rcjammu@nios.ac.in	जम्मू एवं कश्मीर
17. कोची	<b>राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान</b> क्षेत्रीय केन्द्र, 6वीं मजिल, केरल स्टेट हाउसिंग बोर्ड बिल्डिंग पनामिल्ली नगर, कोची- 682036, फोन : (का) 0484-2310032, 4035540 (T/F) 0484-2310033, ई-मेल: rckochi@nios.ac.in	केरल
18. कोलकाता	<b>राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान</b> क्षेत्रीय केन्द्र, सीएल-18ए, सेक्टर-2, साल्ट लेक सिटी (सी.के. बाजार), टैन्क नं. 9 करुणामयी बस स्टैंड के पास, कोलकाता-700 091 (पश्चिमी बंगाल), फोन : (का) 033-24797714; फैक्स : 033-24797707, ई-मेल: rckolkata@nios.ac.in	पश्चिमी बंगाल (सिक्किम और दार्जिलिंग को को छोड़कर) और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह
19. पटना	<b>राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान</b> क्षेत्रीय केन्द्र, ललित भवन, ग्राउंड फ्लोर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बैली रोड, पटना - 800001, बिहार फोन : (O) 0612-2545051, 0612-2545470 ई-मेल: rcpatna@nios.ac.in	बिहार
20. पुणे	<b>राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान</b> क्षेत्रीय केन्द्र, द्वारा भारतीय शिक्षा संस्थान, 128/2 जेपी नाइक रोड, श्री निकेतन सोसायटी (सोलारिस क्लब के पास), कोथरुद, पुणे - 411029 (महाराष्ट्र) फोन : (का) 020-25444667, 25439763; फैक्स: 020-25444667 ई-मेल: rcpune@nios.ac.in	महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव

क्षेत्र का नाम	पता	अधिकार क्षेत्र में शामिल राज्य
21. रायपुर	<b>राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान</b> क्षेत्रीय केन्द्र, बी.टी.आई, ग्राउंड, डाइट परिसर, शंकर नगर, रायपुर - 492001, छत्तीसगढ़ फोन: (O) 0771-2442147, 2442167 ई-मेल: chhatisgarh@nios.ac.in	छत्तीसगढ़
22. रांची	<b>राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान</b> क्षेत्रीय केन्द्र, स्कूली शिक्षा, छात्रावास परिसर, अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ, शाहदेव जिला स्कूल, जिला स्कूल परिषद, रांची फोन: 0651-2217030; Fax: 0651-2217060 ई-मेल: rcranchi@nios.ac.in	झारखण्ड
23. विशाखापट्टनम	<b>राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान</b> , क्षेत्रीय केन्द्र, पाँचवां तल, बी-ब्लॉक, वीयूडीए कॉम्प्लेक्स, सिरिपुरम, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश फोन : (का) 0891-2564584 ई-मेल: srcvisakhapatnam@nios.ac.in	आंध्र प्रदेश
24. कोटा	<b>उप क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा</b> दूसरा तल, 2-पीए-1, विज्ञान नगर मेन रोड, कोटा-324005 ई-मेल : srckota@nios.ac.in, फोन : 09889128555	उप क्षेत्रीय केन्द्र
25. दरभंगा	<b>उपक्षेत्रीय केन्द्र: दरभंगा</b> मोहल्ला कादिराबाद, बस अड्डे के पास (पशुपालन विभाग के पश्चिम) चूड़ी बाजार के पास2, जिला दरभंगा (बिहार), फोन : 0627-2250628	
26. शिलांग	<b>एनआईओएस प्रकोष्ठ शिलांग</b> क्षेत्रीय केन्द्र, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिसर निदेशालय रिसर्च एवं ट्रेनिंग केंपस (डी.ई.आर.टी.), लाटुमखरम, शिलांग, लाटुमखरम, शिलांग, मेघालय-7930011	मेघालय
27. पोर्ट ब्लेयर	<b>एनआईओएस प्रकोष्ठ पोर्ट ब्लेयर</b> निदेशालय में प्रौढ़ शिक्षा, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन शिक्षा सदन अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर	पोर्ट ब्लेयर

**विभिन्न राज्यों में जन सेवा केंद्र के नामों की सूची**

क्र.सं.	राज्य	सीएससी नाम
1.	आंध्र प्रदेश	राजीव नागरिक सेवा केंद्र
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	ई द्वीप
3.	अरुणाचल प्रदेश	जन सेवा केंद्र (सीएससी)
4.	असम	अरुणोदय केंद्र
5.	बिहार	वसुधा
6.	चंडीगढ़	ग्राम संपर्क केंद्र
7.	छत्तीसगढ़	ग्रामीण चयन केंद्र
8.	दिल्ली	जीवन केंद्र
9.	गोवा	लोक सेवा केंद्र
10.	गुजरात	ई-ग्राम
11.	हरियाणा	ई-दिशा
12.	हिमाचल प्रदेश	लोक मित्र केंद्र
13.	जम्मू एवं कश्मीर	खिदमत केंद्र
14.	झारखण्ड	प्रज्ञा केंद्र
15.	कर्नाटक	नेम्मादी केंद्र
16.	केरल	अक्षया केंद्र
17.	लक्ष्मीपुर	आश्रय
18.	मध्य प्रदेश	नागरिक सुविधा केंद्र
19.	महाराष्ट्र	महा ई सेवा केंद्र
20.	मणिपुर	जन सेवा केंद्र
21.	मेघालय	रेनबो केंद्र
22.	मिजोरम	मिजोरम ऑन लाइन केंद्र (मॉक)
23.	नागालैंड	नागालैंड एक, जन सेवा केंद्र
24.	ओडिशा	जन सेवा केंद्र
25.	पुडुचेरी	जन सेवा केंद्र
26.	पंजाब	ग्राम सुविधा
27.	राजस्थान	ई-मित्र
28.	सिक्किम	जन सेवा केंद्र
29.	तमिलनाडु	जन कंप्यूटर केंद्र
30.	त्रिपुरा	ई-परिसेवा केंद्र
31.	उत्तर प्रदेश	जन सेवा केंद्र
32.	उत्तराखण्ड	ई-उत्तर
33.	पश्चिम बंगाल	तथ्य मित्र केंद्र

**सं एफ 3-11/2002 ई जी एस -I**  
**भारत सरकार**  
**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**  
**प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**

नई दिल्ली - 110001

11 दिसंबर 2002

सेवा में,

सभी शिक्षा सचिव  
सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश

**विषय :** राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान {पूर्वत : राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (रा.मु.वि.)} द्वारा आयोजित प्राथमिक और मिडिल स्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षा को मान्यता देने के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन आई ओ एस) पूर्वत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (रा.मु.वि.) दिनांक 21.11.1989 के फा. 6-2/89 अनु. III द्वारा जारी संकल्प के अनुसार भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1989 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों को पूर्व स्नातक स्तर तक शिक्षा प्रदान करना है जो किसी न किसी कारण से औपचारिक शिक्षा प्रणाली से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। एन आई ओ एस फा. 5-24/90 अनु III दिनांक 14.09.1990 द्वारा जारी संकल्प के अनुसार भारत सरकार द्वारा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षाएँ आयोजित करने और प्रमाणपत्र प्रदान करने का अधिकार भी दिया गया है (प्रति संलग्न)। भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए आई यू) ने अधिसूचना सं. ई बी /11(354)91/दिनांक 25.7.1991 (प्रति संलग्न) द्वारा सभी भारतीय विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को इस निर्णय की सूचना दी है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन के उच्च पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एन आई ओ एस के पाठ्यक्रमों को मान्यता प्राप्त बोर्डों की अन्य परीक्षाओं की समकक्षता प्रदान की गई है।

जैसा कि आपको ज्ञात होगा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन आई ओ एस) प्राथमिक स्तर पर दूरस्थ शिक्षा प्रणाली (मुक्त शिक्षा प्रणाली) द्वारा मुक्त वैसिक शिक्षा कार्यक्रम भी चलाता है तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ सहभागिता से तीन स्तरों पर संयुक्त प्रमाणपत्र प्रदान करता है - ए स्तर (कक्षा III अथवा दक्षिणी राज्यों की कक्षा II के समकक्ष जहाँ प्राथमिक शिक्षा केवल कक्षा VII तक होती है, बी स्तर (कक्षा V/IV के समकक्ष और ग स्तर (कक्षा VIII/VII के समकक्ष))। यह दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत समकक्षता के उनके कार्यक्रम पर लागू होता है जहाँ समकक्षता के समान स्तर पर यही प्रमाणपत्र दिए जाते हैं।

आप सभी संबंधित विभागों को एनआईओएस एवं सहभागी एन जी ओ द्वारा उपर्युक्त स्तरों के लिए संयुक्त रूप से जारी प्रमाणपत्र को प्रवेश एवं रोजगार आदि के मामलों में शिक्षा के संबंधित स्तर के समकक्ष स्वीकार करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षाओं को मान्यता प्रदान करने के संबंध में औपचारिक संप्रेषण/अधिसूचना जारी की जाए और सभी संबंधित विभागों में भेजा जाए।

इस संबंध में और अधिक विवरण/स्पष्टीकरण के लिए एनआईओएस के अध्यक्ष से एनआईओएस बी -31 बी कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली -110048 पर संपर्क किया जा सकता अथवा उनके वेबसाइट <http://www.nios.ac.in> अथवा <http://www.nos.org> खोली जा सकती हैं।

भवदीय,

(अमित कौशिक)

निदेशक

दूरभाष 23382604

सूचना के लिए प्रति निम्नलिखित को अग्रेषित की जाए :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकरियों/अनुभागों।
3. अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, बी-31 बी कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048 को उनके दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 के पत्र सं. रा.मु.वि.शि.सं./अध्यक्ष का./1-1/02/2607 के संदर्भ में।

(अमित कौशिक)

निदेशक